हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश। [illegible] बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र दिनांक 27/03/25 को पेश हो। Sd/- 06/3/25	
27/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वहा प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिऐ इसे निम्न बिन्दुओ पर जांचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्ट्या :- ग्राम कलोतिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 124 व 124/438 किता 2 रकबा 3.6421 hec. भूमि की वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण इस तथ्य (fact) पर सहमत है कि दोनो के मध्य सरकारी रास्ता ख० नं० 126 स्थित है और वर्षो से प्रचालित चला आ रहा है। वर्तमान खसरा नक्शा अनुसार यह रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 श्रीराम की भूमि ख०नं० 125 व 128 की लगता सीमा से होकर गुजर रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी की भूमि ख० नं० 124 या 124/438 से जबरन रास्ता निकालना साबित नही होता है। इसी प्रकार प्रार्थी की भूमि ख० नं० 124 के दाखिण [illegible] रास्ता ख०नं० 126 है और रास्ते के लगता [illegible] मे ख० नं० 498/438 है जो [illegible] के खाते दर्ज है जो प्रकरण मे पक्षकार नही है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी की दक्षिण दिशा की भूमि ख० नं० 124/438 के लगता उत्तर में सरकारी रास्ता ख० नं० 126 है। इस रास्ते से लगता उत्तर दिशा में ख० नं० 497/124 जो प्रभु दांगी के वारिसान व अन्य के खाते दर्ज है और प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये गये है। अप्रार्थी क्रम 2 मोहनबाई की भूमि ख० नं० 651/127 प्रार्थी की भूमि व सरकारी रास्ते से दूर स्थित है जिसके द्वारा राजस्व नक्शे अनुसार रास्ते को जबरन हटाने या परिवर्तित करना जाहिर नहीं होता है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य (documentary and oral evidence) प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई राजस्व टीम की मौका निरीक्षण रिपोर्ट या सीमाज्ञान रिपोर्ट भी पेश नहीं की है। प्रार्थी द्वारा द्वारा जो हल्का पटवारी की नजरी नक्शा दिनांक 30/07/2020 पेश किया है, वह राजस्व नक्शे से भिन्न है। विशेषतः ख०नं० 124/438 व 498/438 की स्थितियां बिल्कुल उलट है। यदि इस नजरी में सरकारी रास्ते ख०नं० 126 की मौके की स्थिति को डॉट-डॉट (dot) लाईन से दिखाये अनुसार मान भी लिया जाये तो भी प्रार्थी के ख०नं० 124 पर किसी का भी कब्जा जाहिर नहीं है बल्कि स्वयं प्रार्थी द्वारा सरकारी रास्ते ख० नं० 126 व ख०नं० 498/438 के कुछ हिस्से पर कब्जा करना जाहिर [illegible] इसी प्रकार प्रार्थी के ख०नं० 438/124 पर [illegible] 497/124 के खातेदारान द्वारा कब्जा [illegible] जाहिर होता है जिन्हे प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया [illegible] प्रार्थी द्वारा पेश पटवारी हल्का के नजरी नक्शा दिनांक 30/7/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना जिला डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

(5)

के अनुसार प्रार्थी की भूमि ख0नं0 124 व 438/124 पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कोई रास्ता कायम करना साबित नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- जब प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है और अप्रार्थीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण कर प्रार्थी की भूमि से होकर अवैध रास्ता कायम करना साबित नहीं है तो फिर प्रार्थी के काश्तकारी हक व अधिकारों का हनन होने से असुविधा कारित होना जाहिर नहीं होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न करना भी जाहिर नहीं होता है। यदि प्रार्थी को कोई असुविधा, जबरन अतिक्रमण कर हकों का उल्लंघन या क्षति कारित हुआ भी है तो ख0नं0 497/124 के खातेदारान से हो सकता है जिन्हें प्रार्थी ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। स्वयं प्रार्थी द्वारा भी ख0नं0 498/438 के उपर स्थित सरकारी नाले ख0नं0 126 पर कब्जा करना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर प्रार्थी की बजाए अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा कारित होगी और इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

(स) अपूरणीय क्षति :- जब अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0नं0 124 व 438/124 पर कोई नवीन रास्ता कायम करना या अतिक्रमण करना साबित नहीं है तो अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र u/s 212

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्ब... अहलका... हुक्म की... में जा...
	RT Act खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। 27/3/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner